



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31012026-269698  
CG-MH-E-31012026-269698

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 69।

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 23 जनवरी, 2026

**सा.का.नि. 70(अ).**— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखण्ड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला कच्छ, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) आरओबी-92 को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, अबडासा, जिला कच्छ, को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्षित्वनार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20व की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के जिला कच्छ भुज, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) आरओबी-92 को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: कच्छ।

क्र. स.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि थेट्रफल (हेक्टेयर थेट्रफल वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5	6	7
1	अबडासा	कोठारा	847	निजी	बिन खेती	0-79-84
2	अबडासा	कोठारा	845	निजी	खेती	0-21-62
3	अबडासा	कोठारा	843	निजी	खेती	0-08-77
4	अबडासा	कोठारा	810/Paki-1	निजी	खेती	0-00-29
5	अबडासा	कोठारा	810/Paki-3	निजी	खेती	
6	अबडासा	कोठारा	811/1	निजी	खेती	0-12-63
7	अबडासा	कोठारा	811/1/Paki-1	निजी	खेती	
8	अबडासा	कोठारा	983	निजी	खेती	0-83-12
					कुल	2-06-27

[फा. सं. E. -711413]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक – II

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railways (Construction Organisation)]

### NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd January, 2026

**G.S.R. 70(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 Km) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) ROB-92 in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer-Abdasa, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such

further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 KM) extension up to Vaylor New Line (24.65 KM) ROB-92 in District Kutch in the state of Gujarat.

**Name of District: Kutch**

Sr. No.	Name of Taluka	Name Village	Survey No	Type of Land	Nature of Land	Area in land (Hect. Are. Sqm)
1	Abdasa	Kothara	847	Private	Non-Agriculture	0-79-84
2	Abdasa	Kothara	845	Private	Agriculture	0-21-62
3	Abdasa	Kothara	843	Private	Agriculture	0-08-77
4	Abdasa	Kothara	810/Paki-1	Private	Agriculture	0-00-29
5	Abdasa	Kothara	810/Paki-3	Private	Agriculture	
6	Abdasa	Kothara	811/1	Private	Agriculture	0-12-63
7	Abdasa	Kothara	811/1/Paki-1	Private	Agriculture	
8	Abdasa	Kothara	983	Private	Agriculture	0-83-12
					Total	2-06-27

[F. No. E. -711413]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager –II